न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 94/2020

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. मुरली मनोहर पुत्र दामोदर जाति–माली निवासी– मदागण वास, पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		1. राजूराम उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवकरण जाति माली निवासी– भवानी पोल के बाहर, मालियों का मदागण वास, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व निगरानी प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान मुरली मनोहर बनाम राजूराम उर्फ राजूराम में पारित आदेश दिनांक 28.04.2014 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री रमेश कुमार सागर, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28 मई, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष एक राजस्व निगरानी अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम पोकरण के ख0सं0 1241 रकबा 75 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, नामा0 के समय वो आवंटित खसरे बदलवाकर ख0सं0 1191 रकबा 75 बीघा भूमि के नामा0 संख्या 416, 417 भर दिये। जो आवंटन उप जिलाधीश पोकरण के आदेश संख्या 111 दिनांक 23.02.1972 के अनुसार आवंटन हुआ था, जो आवंटन नियम के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निगरानी प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा दिनांक 28.04.2014 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खारिज कर दी गई जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय, बाडमेर के समक्ष दिनांक 30.06.2014 को पेश की गई। तत्पश्चात

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 15.01.2020 को राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर से स्थानान्तरित होकर न्यायालय को प्राप्त होने पर दिनांक 15.01.2020 को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया था कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त आवंटन तथ्यों को छुपाकर, धोखा व कपट से करवाया गया है, जो नियम विरूद्ध होने से खारिज किया जाना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल कारित है व उक्त निर्णय विधि विधान व न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, जो कि निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त आवंटन के समय रेस्पो0 संख्या एक के पिता शिवकरण के धारण में रकबा 40 बीघा भूमि आई हुई थी, इन तथ्यों पर बिना कोई ध्यान दिये व रिकार्ड के विपरित जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने ज्यूडिसियल माईन्ड अप्लाई किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.04.2014 पारित किया है। रेस्पो0 संख्या एक के पिता शिवकरण को बाद में 200 बीघा भूमि के दिनांक 22.11.1984 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे। इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 1 वक्त आवंटन के समय नाबालिग व्यक्ति था। रेस्पो0 संख्या एक राजूराम एवं आईदान पुत्र शिवकरण दोनों बीलिया स्कूल में पढे, प्रवेश लिया था, जहॉ का जन्मतिथी का रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर पेश किया गया था। साथ ही शपथपत्र भी पेश किया गया था कि उक्त सर्टीफिकेट राजेन्द्र कुमार व राजूराम पुत्र शिवकरण एक ही व्यक्ति के नाम है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कथित रिकार्ड पर प्रस्तुत जन्मतिथी का निश्चायक सबूत न मानकर निर्णय पारित कर दिया जो कि निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 को ख0सं0 1241 में हुआ था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी के द्वारा नामा0 के पीछे खसरा नम्बर बदलने का आदेश कर ख0सं0 1191 हेतु आवंटन कर दिया, उक्त आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य था। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरे पेश की गई परन्तु उन पर बिना कोई गौर किये ही और निर्णयों का हवाला दिये बिना ही मात्र यह मान लेना कि खसरा परिवर्तन करने में रेस्पोडेन्ट की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कोई भूमिका है, आवंटन को यथावत रख दिया, जबकि खसरा परिवर्तन करने का कानूनन अधिकार केवल मात्र आवंटन कमेटी को ही है। अकेले उपखण्ड अधिकारी को खसरा परिवर्तन करने हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है। हस्तगण प्रकरण में आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नहीं बदला गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से और आवंटन को बहाल रखे जाने का अधिनस्थ न्यायालय का आदेश भी निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या एक को भूमि का आवंटन करते समय उनका भाई पटवारी पद पर कार्यरत था, जो वर्तमान में तहसीलदार के पद पर है, रेस्पोडेन्ट के भाई शुरू से ही पोकरण क्षेत्र में पदस्थापित रहे है और वर्तमान में भी पदस्थापित चले आ रहे है, उन्हीं पटवारी के द्वारा अपने पिता के नाम 200 बीघा भूमि का मिलावट कर आवंटन कमेटी से भूमि आवंटन का निर्णय पारित करवा लिया और अपनी पत्नी छोटेश्वरी देवी के नाम से 50 बीघा भूमि का ग्राम गुड्डी तहसील पोकरण में आवंटन करवा लिया। इसी प्रकार अपने रिश्तेदार धूडाराम के नाम भूमि का आवंटन करवा लिया। तत्पश्चात उन्हीं भूमियों का बेचान कर दिया। इस प्रकार उक्त सभी कार्यवाहिया मिलावटी कार्यवाहियां होने के साथ ही नियम विरूद्ध होने से खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये हुए है। रेस्पोडेन्ट की भाभी वर्तमान में पोकरण नगरपालिका की चेयरमैन है, उन्होने खुद के नाम से पटवारी की पत्नी होते हुए भी कपट, धोखा व तथ्य को छुपाकर आवंटन करवा लिया। इस प्रकार मुखिया पटवारी के द्वारा अपने रिश्तेदारों को अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सांठ–गांठ से अलग–अलग भूमियों का आवंटन करवा लिया और अपने पद व प्रभाव से उक्त आवंटन को यथावत रखने में कामयाब रहा है, ऐसे में उक्त आवंटन निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा कपटपूर्वक महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए गलत रूप से आंवटन करवाते हुए आवटंन की शरायतों को भंग किया गया है तथा खसरा बदलवाने का आदेश भी गलत रूप से पारित करवाया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस अपील को स्वीकार किया जाकर रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में किया गया भूमि बाबत आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1972 को निरस्त किया जावें।

विद्वान अपीलान्ट अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कहा कि वक्त आवंटन रेस्पो0 संख्या एक नाबालिग था, उसकी उम्र 7–8 वर्ष थी, वह विद्यालय में पढता था, विद्यालय रेकार्ड के अनुसार भी वह नाबालिग था, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट व अन्य दस्तावेजात से वह वक्त आवंटन नाबालिग होना साबित व प्रमाणित होता है। विद्यालय रा0 उ0 प्रा0 वि0

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बिलिया के जन्म प्रमाण पत्र अनुसार रेस्पो0 संख्या एक की जन्मतिथी दिनांक 02.11.1966 दर्ज है जो प्रवेशांक 416 के अनुसार दर्ज है जिससे वक्त आवंटन रेस्पो0 संख्या एक 06 वर्ष का बालक था।

इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक के पिता के नाम वक्त आवंटन 40+200 बीघा कुल 240 बीघा भूमि खातेदारी में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज थी, तत0 पटवारी के द्वारा जानबूझकर, मिलीभगत से रिपोर्ट की, कपट व धोखा किया गया तथा गलत रूप से रेस्पो0 संख्या एक को भूमिहिन बताया, पूर्व धारित संयुक्त परिवार की भूमि को छुपाकर 75 बीघा भूमि का आवंटन कराया, जो कि खारिज योग्य है।

विद्वान अपीलान्ट अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कहा कि रेस्पो0 संख्या एक के नाम आवंटन ख0सं0 1241 में हुआ था, जिसका मिलीभगत व सांठ–गांठ से नामान्तरकरण ख0सं0 1191 में भरा गया, स्वीकृत किया गया जबकि आवंटन के खसरा परिवर्तन का अधिकार सिर्फ आवंटन कमेटी को है, आवंटन कमेटी को है, आवंटन कमेटी द्वारा खसरा परिवर्तन नहीं किया गया, महज मिलीभगत से किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा खसरा परिवर्तन किया गया है जो आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना होने से नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारिज योग्य है। उक्त भूमि नगरपालिका पोकरण से लगती भूमि है। 75 बीघा भूमि नियम विरूद्ध खसरा परिवर्तन करवाकर हड़पी गई है। उक्त भूमि से चिपती आवासीय कॉलोनियों का नगरपालिका द्वारा कनवर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि की वर्तमान बाजार कीमत 50,000/– रूपये बीघा के लगभग है। इस प्रकार राज्य सरकार को करीब 37–38 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है जो भूमि रेस्पो0 संख्या एक के भाई पटवारी द्वारा सांठ–गांठ, मिलीभगत कर हासिल की गई है, ऐसे में आवंटन खारिज योग्य है।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुझ रेस्पो0 संख्या एक को उल्लेखित खसरा भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 23.02.1972 को निरस्त करने के सम्बन्ध में जो आपत्तियां, तथ्य एवं दस्तावेज पेश किये गये थे, उन्हीं समस्त तथ्यों के फिर से इस अपील के माध्यम से न्यायालय हाजा के समक्ष पेश करते हुए उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिन आधारों को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की ओर से पेश निगरानी को मिथ्या मानकर निगरानी को खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हुए भूमि आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश प्रसारित किये गये थे। ऐसे में अपीलान्ट की यह अपील इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत निगरानी के सम्बन्ध में आपत्ति लिखित में पेश करते हुए निगरानी को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया था कि उपजिलाधीश व आवंटन कमेटी द्वारा रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन विधि के अनुसार किया गया है जो विधि व नियमों के विपरित नहीं है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि का आवंटन कपट, धोखाधडी या तथ्य छुपाकर नहीं करवाया है और न ही मिलीभगत से आवंटन करवाया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक वक्त आवंटन के समय नाबालिग नहीं था और न ही रेस्पो0 संख्या एक कभी स्कूल में पढने लिखने को गया था। इस कारण स्कूल रिकार्ड में अप्रार्थी की जन्ततिथि दर्ज होने के तथ्य गलत है। रेस्पो0 संख्या एक ने जब स्कूल में प्रवेश ही नहीं लिया तो प्रवेशांक नम्बर के अनुसार जन्मतिथी दर्ज होने के तथ्य स्वतः ही गलत साबित हो जाते है। राजेन्द्र पुत्र शिवकरण माली के नाम से पोकरण में कई व्यक्ति और भी है और उक्त दर्शाई गई स्कूल अप्रार्थी के घर से 03–04 कि0मी0 दूर है जबकि उनके घर के पास ही सरकारी विद्यालय आये हुए है। ऐसे में उक्त प्रवेशांक नम्बर अप्रार्थी से सम्बन्धित नहीं है और न ही अप्रार्थी की जन्मतिथी की दिनांक 2.11.1966 रही है।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि किसी आवंटी का भाई राजकीय सेवा में होने के आधार पर किसी व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता, ऐसा किन्हीं राजकीय नियमों के दस्तावेजों में अंकित नहीं है और न ही प्रतिबन्धित किया हुआ है। रेस्पो0 सं. 01 का भाई पटवारी पद पर अवश्य कार्यरत रहे है परन्तु आवंटन के समय वो पोकरण ग्राम में नियुक्त ही नहीं थे। ऐसे में यह तथ्य भी पूर्णतया अस्वीकार है।

इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक को भूमि आवंटन के समय अप्रार्थी गरीब व भूमिहीन व्यक्ति था तथा उनके पिता के नाम रकबा 240 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं थी। इस प्रकार रेस्पो0 सख्या एक के द्वारा भूमि आवंटन बाबत पेश किये आवेदन में कोई तथ्य नहीं छुपाये गये थे, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पिता के नाम जो 200 बीघा भूमि होना बताई जा रही है, उक्त भूमि उनके पिता के नाम न्यायालय के आदेशों से राजस्व रेकर्ड नामा0 एवं जमाबन्दी में वर्ष 1989 में दर्ज की गई है जबकि अप्रार्थी को भूमि उससे काफी वर्ष पहले आवंटन हुई है, इस तरह आवंटन के समय अप्रार्थी के पिता के पक्ष में 200 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज ही नहीं थी। अपीलान्ट ने गलत तथ्य पेश करते हुए आवंटन को

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निगरानी तत्पश्चात यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है जो अस्वीकार करने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा जिस खसरे का अंकन पेश किये गये भूमि आवंटन के आवेदन पत्र में किया था उसमें तहसीलदार की ओर से उक्त खसरे की भूमि सिवायचक होने बाबत रिपोर्ट पेश करने पर आवंटन कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों के द्वारा पुनः निर्णय लेते हुए उक्त खसरा भूमि की जगह अन्य खसरा की भूमि दिये जाने बाबत आदेश में परिवर्तन करते हुए खसरा संख्या 1191 की भूमि में से 75 बीघा भूमि आवंटन की गई थी, जो उचित एवं विधि के अनुसार निर्णय लेकर संशोधन किया गया था। उक्त भूमि रेस्पो0 संख्या एक को आवंटन हो जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्टस के द्वारा उक्त भूमि के खेत के चारो और ताराबन्दी कर जाली लगवाई और पानी का टयूबेल व चार पक्के कमरे व पानी का टांका आदि बनाकर वर्षो से निवास कर रहा है तथा भूमि की काश्त करता आ रहा है। वर्ष 1972 में उक्त हुए आवंटन के आधार पर इतने समय में खातेदारी अधिकार प्रदान हो जाने के उपरान्त उक्त आवंटन को इतनी लम्बी अवधि जाने के पश्चात किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा व उक्त भूमि में किसी प्रकार का हित नहीं रखने वाले व्यक्ति के द्वारा शिकायत करना और उक्त शिकायत के आधार पर किसी के पक्ष में हुए भूमि के आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है अपीलान्ट उक्त आवंटन से किसी प्रकार से पीडित व्यक्ति नहीं है वह रिश्ते में रेस्पो0 संख्या एक का साला लगता है तथा मुझ रेस्पोडेन्ट के छोटे भाई की पत्नी नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु खडी हुई थी। उनके विरूद्ध अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु अपीलान्ट का भाई चुनाव लड रहा था और वह उक्त चुनाव में हार जाने के कारण मात्र रेस्पो0 संख्या एक के परिवार से राजनैतिक प्रतिद्वन्दता रखते हुए अपीलान्ट के द्वारा नाजायज दबाव डालने और रंजिशवश ऐसी शिकायतें करता आ रहा है और बेवजह कानूनी प्रकिया में उलझाने का प्रयास किया है। रेस्पो0 संख्या एक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। मात्र शिकायत के आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत एक अपील संख्या 01/2015 में दिये गये निर्णय दिनांक 19.11.2015 में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता आवंटन के समय आवंटित भूमि का आवेदक नहीं था तथा उक्त निर्णय में यह माना गया कि अपीलार्थी व्यथित पक्षकार नहीं है, शिकायतकर्ता केवल सूचित करने तक ही अधिकार रखता है और शिकायत के आधार पर आवंटन आदेश को जिला कलेक्टर न्यायालय निरस्त नहीं करता है

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति पक्षकार नहीं माना जा सकता है और वह अपील पेश करने का अधिकारी भी नहीं रहता है। वर्ष 1971 में हुए आवंटन को इतने लम्बे समय पश्चात यानि लगभग 40 वर्ष के पश्चात रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में खातेदारी दर्ज हो जाने के उपरान्त इस प्रकार से आवंटन को चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में निर्धारित किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर खारिज की जावे एवं रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में हुए भूमि आवंटन के आदेश दिनांक 23.02.1972 को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर चिंतन एंव मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का बगौर अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि भूमिहीन व्यक्ति को कृषि काश्त हेतु भूमि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित रहती है जिनके समक्ष भूमिहिन व्यक्ति के द्वारा अपने को भूमिहीन होना तथा किसी भी भूमि का खातेदार नहीं होने के कारण कृषि भूमि का आवंटन करने हेतु निवेदन किये जाने पर आवंटन कमेटी के द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड की तथा मौका भूमि की जॉच तहसीलदार के मार्फत प्राप्त की जाती है, तत्पश्चात कमेटी की बैठक आयोजित करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर भूमि आवंटन किया जाता है। परन्तु इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी पोकरण के द्वारा आवंटन कमेटी द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय दिनांक 23.06.1971 के द्वारा प्रार्थी राजूराम को ग्राम पोकरण के ख0सं0 1241 किस्म सिवायचक में से 75 बीघा भूमि आवंटित की गई है तथा बिना आवंटन कमेटी के सर्वसम्मति से लिये गये प्रस्ताव को ही 8 माह पश्चात अकेले उपखण्ड अधिकारी पोकरण स्वयं के द्वारा अपने आदेश क्रमांक 111 दिनांक 23.02.1972 द्वारा ख0सं. 1241 की भूमि के स्थान पर अन्य ख0सं0 1191 की 75 बीघा भूमि का बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये आवंटन कर दिया गया है, जिसे भूमि आवंटन नियमों के तहत विधि के अनुकूल एवं उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 23.02.1972 की पालना में नामा0 संख्या 417 दिनांक 19.02.1973 नायब तहसीलदार, पोकरण के द्वारा स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0 संख्या एक की ओर से भी अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उनके द्वारा उक्त ख0सं0 1241 की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि लिये जाने से इन्कार किया गया और दूसरे ख0सं0 1191 की भूमि में से आवंटन हेतु आवेदन किया गया हो तथा उक्त आवेदन पर आवंटन कमेटी द्वारा पुनः विचार कर सर्वसम्मति से खसरा परिवर्तन का निर्णय लिया गया हो। उक्त नवीन खसरा संख्या 1191 के आवंटन आदेश दिनांक 23.02.1972 की प्रति भी पत्रावली के संलग्न नहीं पाई गई। जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने अपने आदेश में यह तो अंकित किया है कि रेस्पो0 संख्या एक को ख0सं0 1241 में 75.00 बीघा भूमि के आवंटन में आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित प्रकिया अपनाई गई है, परन्तु ख0सं0 1191 में 75.00 बीघा भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में आवंटन कमेटी द्वारा कोई विधिवत प्रकिया अपनाई हो, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इससे यही माना जायेगा कि उक्त आदेश केवल मात्र अकेले उपखण्ड अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, ना कि आवंटन कमेटी के द्वारा जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज लैण्ड एलोटमेन्ट ऐपलीकेशन संख्या 101/1963 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.1964 के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि रेस्पो0 संख्या एक राजूराम के पिता श्री शिवकरण माली को 40 बीघा भूमि का आवंटन तत्समय में हो रखा था। यह 40.00 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पो0 संख्या एक के पिता को प्रश्नगत आवंटन रकबा 75.00 बीघा भूमि, जो कि आवंटन आदेश दिनांक 23.02.1972 द्वारा किया गया है, से पूर्व ही हो रखा है। ऐसे में उनके पुत्र राजूराम के पक्ष में भी नोशनल शेयर के रूप में भूमि आ रही थी तो श्री राजूराम को तत्समय में भूमिहिन व्यक्ति की श्रेणी में किस प्रकार से माना जा सकता था। अपीलान्ट के द्वारा दौराने बहस यह भी कहा गया कि यह आवंटन सम्बन्धी प्रमाण अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत नहीं कर सके थे, यह प्रमाण अपीलान्ट के द्वारा अब न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये है। उपखण्ड अधिकारी को भूमि आवंटन से पूर्व उनकी पुश्तैनी भूमि सम्बन्धी राजस्व रेकर्ड की भली भांति जॉच करवाई जानी चाहिये थी, जो नहीं की गई है। उक्त जॉच करवाये बिना ही रेस्पो0 संख्या एक को 75 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। इतनी अधिक रकबा भूमि का तत्समय में किन नियमों के तहत आंवटन किया गया है, इसकी भी जॉच भूमि आवंटन कमेटी के द्वारा भूमि आवंटन किये जाने से पूर्व करवाया जाना आवश्यक था।

अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन), नियम 1970 के तहत पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी मात्र सरसरी तौर पर कार्यवाही की गई है, प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये जाने से पूर्व अपीलान्ट की ओर से दर्शाये गये कथनो/साक्ष्यों की जॉच करवाई गई

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

हो, ऐसा कोई प्रमाण या दस्तावेज उनकी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की सत्यता/असत्यता के सम्बन्ध में रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा भी अपने पक्ष को मजबूत किये जाने हेतु कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष पेश किये गये है जिससे अपीलान्ट की अपील सारहीन प्रतीत होती हो। रेस्पो0 संख्या एक की ओर से मात्र यह दर्शा दिया जाना कि आवंटन नियमों/प्रक्रिया/आज्ञापक प्रावधानों की पालना का दायित्व/जिम्मेदारी भूमि आवंटन कमेटी की है, अपने पक्ष में हुए आवंटन को वैध व नियमानुसार सही नहीं ठहरा सकते।

रेस्पो0 संख्या एक के भूमि आवंटन के समय नाबालिग होने सम्बन्धी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से पेश स्कूल प्रवेशांक जो दिनांक 19.11.2014 को जारी हो रखा है, के सम्बन्ध में भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र रेस्पो0 संख्या एक की माता की ओर से पेश शपथ पत्र को अन्तिम साक्ष्य मान लिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त स्कूल के मूल कार्यालय रिकार्ड को तलब किया जाकर उसकी जॉच करवाई जाना आवश्यक थी, जो नहीं की जाना स्पष्ट है। रेस्पो0 संख्या एक की माता का उक्त शपथ पत्र पत्रावली के संलग्न नहीं भी पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि रेस्पो0 संख्या एक को भूमि आवंटन किसी अन्य खसरा नम्बर का हुआ है तथा 08 महिने बाद बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नामान्तरकरण किसी अन्य खसरा नम्बर का स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के शपथ पत्र को नकारने तथा प्रवेशानुज्ञा को सही नहीं मानने का कोई कारण अपने निर्णय दिनांक 28.04.2014 में नहीं बताया गया है। नामान्तरकरण की पुश्त पर नाबालिग अंकित नहीं करना, नाबालिग नहीं होना मानने का कोई आधार नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान लिया जाना कि भूमि आवंटन में रेस्पो0 संख्या एक की कोई भूमिका नहीं थी और आवंटन के समय रेस्पो0 संख्या एक भूमिहिन था, को यह न्यायालय विधि के अनकूल एवं नियमों के तहत उचित नहीं ठहरा सकता क्योंकि कोई भी आदेश विधि व नियमों/ शर्तो के अनुकूल जारी किया जाना नहीं पाया जाता है तो ऐसे आदेश को कभी भी संज्ञान में लाये जाने पर उसे निरस्त किया जा सकता है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.4.2014 तथा रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में हुए भूमि आवंटन आदेश दिनांक 23.02.1972 दोनों निरस्त किये जाते है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.4.2014 तथा रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में हुए ग्राम पोकरण के ख0सं0 1191 रकबा 75 बीघा के भूमि आवंटन आदेश दिनांक 23.02.1972 निरस्त किये जाते है। निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर